छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक 512/वित्त/ब–4/2016 नया रायपुर, दिनांक 18 जुलाई, 2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, नया रायपुर

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–2018 का बजट कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2017–2018 का बजट कार्यक्रम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने विभाग के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

18/7/16

(सतीश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन क्रमांक 513/वित्त/ब–4/2016 नया रायपुर, दिनांक 18 जुलाई, 2016

प्रतिलिपिः–

1. समस्त बजट नियंत्रक अधिकारी, छत्तीसगढ़
2. सचिव/समस्त विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक
3. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग
4. अवर सचिव/शोध अधिकारी/समस्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग
5. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
6. कम्प्यूटर शाखा, वित्त विभाग को वित्त विभाग की बेवसाईट में अपलोड करने हेतु

(राघवेन्द्र कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

2017–2018 का बजट कार्यक्रम

1.	4 अगस्त, 2016	वित्त विभाग द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारियों को आयोजनेत्तर तथा आयोजना एवं राजस्व प्राप्तियों की पृथक–पृथक पुस्तक फार्मों का प्रदाय
2.	4 अगस्त, 2016	महालेखाकार से आय–व्यय के वास्तविक आंकड़े प्राप्त करने हेतु प्रपत्रों का प्रदाय
3.	12 अगस्त, 2016	दिनांक 31.3.2016 की स्थिति में विभाग (विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों) में उपलब्ध वाहनों, दूरभाष एवं कम्प्यूटरों की सूची तथा स्वीकृत पद संरचना एवं परिसंपत्तियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में वित्त विभाग को उपलब्ध कराना
4.	24 अगस्त, 2016	राजस्व प्राप्तियां/वसूली के बजट अनुमान 2017–18 के बजट प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त करने की अंतिम तिथि (निर्धारित प्रपत्र के अतिरिक्त कुल राजस्व प्राप्ति के प्रस्ताव का विवरण पृथक से जैसा आपके विभाग में संधारित है वह भी भेजें)
5.	16 सितंबर, 2016	आयोजनेत्तर बजट प्रस्ताव 2017–18 के वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
6.	26 सितंबर, 2016 से 01 अक्टूबर, 2016 तक	राजस्व प्राप्तियां/वसूली के बजट प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों के साथ (विभागाध्यक्ष एवं उपसचिव/संयुक्त सचिव) चर्चा
7.	03 अक्टूबर, 2016	आयोजना बजट प्रस्ताव वर्ष 2017–18 के वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
8.	17 अक्टूबर, 2016 से 11 नवंबर 2016 तक	आयोजनेत्तर बजट प्रस्ताव वर्ष 2017–18 पर प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों के साथ (विभागाध्यक्ष एवं उप सचिव/संयुक्त सचिव) चर्चा
9.	21 नवम्बर, 2016 से 30 नवम्बर, 2016 तक	आयोजना बजट प्रस्ताव वर्ष 2017–18 पर प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों के साथ (विभागाध्यक्ष एवं उप सचिव/संयुक्त सचिव) चर्चा
10.	12 दिसंबर, 2016 से 24 दिसम्बर, 2016 तक	वित्त सचिव द्वारा अन्य विभाग के सचिवों के साथ बजट प्रस्तावों पर चर्चा (नवीन मद के प्रस्ताव सहित)
11.	24 दिसम्बर 2016	माननीय वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण हेतु सामग्री, परिणामी, जेंडर तथा आफ बजट 2017–18 प्राप्त होने की अंतिम तिथि
12.	09 जनवरी 2017 से 13 जनवरी 2017 तक	माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा अन्य विभागों के मान. मंत्रीगण से बजट प्रस्तावों पर चर्चा
13.	07 जनवरी, 2017	दिनांक 31.12.2016 तक बकाया गारंटियों की जानकारी वित्त विभाग में प्राप्त हाने की अंतिम तिथि
14.	31 मार्च, 2017	प्रशासकीय विभागों द्वारा पुनर्विनियोजन/समर्पण के आदेश जारी करने हेतु अंतिम तिथि

<u>नोटः–</u>

वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक जी–25/9/90/नि–4/चार दिनांक 22.05.90 के अनुसार आदिवासी क्षेत्र उपयोजना तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के बजट प्रस्ताव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ को भेजे जावें।

<u>विशेष सूचनाः–</u>

(1) वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक 345/2007/ब–1/चार दिनांक 18 अप्रैल, 2007 के अनुसार नवीन व्यय के प्रस्तावों को सूक्ष्म परीक्षित (Scrutinized) के रूप में शामिल करायें। वर्ष 2017–2018 के बजट में कोई अपरीक्षित व्यय का नवीन मद सम्मिलित नहीं किया जावेगा और न ही संबंधित पुनर्विनियोजन प्रस्ताव ऊपर अंकित तिथि के बाद मान्य किया जावेगा, अतः विभाग कृपया ऊपर अंकित समय सारणी का कड़ाई से पालन करे।

(2) बिंदु कमांक 1 में उल्लेखित नवीन व्यय के प्रस्तावों को वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 825/एल 6–6/2010/वित्त/ब–4/चार, दिनांक 13 मई, 2011 में उल्लेखित नई सेवा/सेवा का नया साधन के संशोधित सीमाओं के अनुसार उपलब्ध कराया जावे।

(3) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्याओं के अंतर्गत संचालित योजनाओं का समेकित बजट प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संबंधित विभागों से चर्चा कर तैयार किया जाकर वित्त विभाग को उपरोक्तानुसार समय सीमा में प्रस्तुत किया जावेगा।